उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-07/2022/307/92-2-22-43ई-फा0/2021
लखनऊ:: दिनांक:: 06 मई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम जिगिनिहवॉ से माधवपुर तहसील बॉसी में पीएमजीएसवाई योजनान्तर्गत निर्मित सडक के संबंध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा की गयी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जनपद-सिद्धार्थनगर के पैकेज संख्या-यूपी-6575 (जिगिनिहवॉ से चेतिया मार्ग-0.00 से 11.50 किमी0) एवं पैकेज संख्या-6567 (शाहपुर सिंगार जोत मार्ग-0.00 से 11.00 किमी0) का अनुबंध शर्तो के अनुरूप अनुरक्षण न कराये जाने, बरती गयी अनियमितता, निष्ठा से कार्य न करने, शासकीय स्थिति का दुरूपयोग करने, कर्तव्य/दायित्व निर्वाहन में विफल होने, जनमानस को असुविधा पहुंचाने, निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने, क्रमश: धनराशि रू0 156.13 लाख व 162.916 लाख की शासकीय क्षति पहुंचाने एवं विभागीय छवि धूमिल करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर आरोप पत्र देते हुये श्री ब्रजेन्द्र कुमार, तत्का0 मुख्य अभियंता (पू0क्षे0)/ प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ श्रीमती अनीता वर्मा सिंह, विशेष सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-3), ग्रा0अभि0 वि0, मुख्यालय को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

संख्या-07 /2022/307(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/ श्रीमती अनीता वर्मा सिंह, विशेष सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री ब्रजेन्द्र कुमार के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित समस्त अभिलेख/आरोप-पत्र मय **संलग्नकर** सहित प्रेषित करते हुये, उक्त जॉच निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-3) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, मुख्यालय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- श्री ब्रजेन्द्र कुमार, तत्का0 मुख्य अभियंता (पू0क्षे0)/प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0 उ0प्र0 लखनऊ (सम्प्रति से0नि0) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।